पूर्वी उ.प्र. में बाल अपराध के लक्षण : बस्ती जनपद के सन्दर्भ में

डॉ. रघुनाथ प्रसाद त्रिपाठी* एवं डॉ. अनिल कुमार मिश्र**
***शोध पर्यवेक्षक एवं पूर्व उपाचार्य**
ए.एन.डी.के. पी.जी. कालेज बभनान–गोण्डा
****शोध छात्र**
डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय–अयोध्या

अपराध की भांति बाल अपराध भी भारत की एक प्रमुख समस्या है इसके विस्तार का पता लगाना भी एक कठिन कार्य है क्योकि अनेक बाल अपराधों के मामले में पुलिस को सूचित नही किया जाता है। बाल अपराधके मामले पुलिस द्वारा दर्ज किये जाते है, उनसे उनके विस्तार का पता चलता है। **'किशोर न्याय अधिनियम 1986'** भारत में 2 अक्टूबर 1987 ई0 को लागू हुआ जो पहले के अधिनियमों को रद्द कर उनका स्थान लेता है। इस अधिनियम में 'बाल' शब्द की परिभाषा सोलह वर्ष से कम आयु के लड़के या अठारह वर्ष से कम लड़की के रूप में दी गई है। इससे पहले भारत में 21 वर्ष से कम लड़कियों को 'बाल' माना जाता था।

1988 ई0 और बाद के आंकड़ो की तुलना इससे पहले वाले वर्षो के साथ नही की जा सकती। 1988 ई0, 1989 व 1990 ई0 में बाल अपराधों के मामले में जो कमी दिखाई देती है वह बाल–अपराधियों की आयु में कमी के कारण है।

बालकों द्वारा किये जाने वाले कुल अपराधों में से मुश्किल से 2.0 प्रतिशत ही पुलिस या न्यायालय के समक्ष आते है। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो, देहली (National Crime Record Bureau, Delhi) द्वारा एकत्र किये आकड़े भारत में पाये जाने वाले बाल अपराधों की ओर संकेत करते है।

1987 तक प्रतिवर्ष भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत लगभग 50 हजार और स्थानीय और विशेष कानूनों के आधार पर लगभग 85 हजार बाल अपराध हुए थे। अक्टूबर 1987 में बाल न्याय अधिनियम (1986 में पारित) के लागू हो जाने के बाद 'बालक' की नवीन परिभाषा में 16 से 21 वर्ष की आयु के लडको और 18 से 21 वर्ष की आयु की लड़कियों को सम्मिलित नही किया गया है। अब बालको पर लगाये जाने वाले अपराध के मामले सामाजिक रूप से कम हो गये हे। यही कारण है कि 1988 और उसके बाद में, 1987 और पूर्व में वर्षो की तुलना में बाल अपराध भारतीय दण्ड संहिता एवं स्थानीय एवं विशेष कानूनों के अन्तर्गत कम हुए है। 1988 में भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गम 25 हजार बाल अपराध (24, 827) और स्थानीय और विशेष कानूनों के अन्तर्गत लगभग 25 हजार (25, 468) बाल अपराध रिकार्ड किये गये थे। वर्तमान में लगभग 16.5 हजार बालक विविध अपराधों के लिए पकड़े जाते है। (लगभग 10,000 या 65 प्रतिशत भारतीय दण्ड संहिता और लगभग 5000 या 35.0 प्रतिशत स्थानीय और विशेष कानूनों के अन्तर्गत।[1]

1995 में भारत में कुल संज्ञेय अपराधों में से बाल अपराधों का प्रतिशत 0.6 प्रतिशत था 1988 में 1.7 प्रतिशत था। 1988 से पूर्व यह प्रतिशत लगभग 4 प्रतिशत था।

बालकों द्वारा किये गये अपराधों में से भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध सबसे अधिक सम्पत्ति सम्बन्धी (अर्थात चोरी, सेंधमारी, डकैती और लूटपात आदि) थे 1995 में भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत कुल संज्ञेय अपराधों (9,766) में से चार अपराध (चोरी 29.0 प्रतिशत, सेंधमारी 13.2 प्रतिशत, लूटपात 0.8 प्रतिशत और डकैती 0.6 प्रतिशत) का प्रतिशत 43.6 प्रतिशत था।

सम्पत्ति अपराध के बाद 9.8 प्रतिशत बालकों का दंगों के लिए 4.7 प्रतिशत को हत्या व हत्या के प्रयास के लिए, 1.8 प्रतिशत को बलात्कार के लिए और 1.6 प्रतिशत को अपहरण और भगाने के सन्दर्भ में रिकार्ड किया गया था।

स्थानीय और विशेष कानूनों के अन्तर्गत 1995 में बाल अपराध में सबसे अधिक संख्या मद्यनिषेध अधिनियम 13.9 प्रतिशत और जुआ अधिनियम 4.6 प्रतिशत था। (1987 तक यह क्रमशः 27 प्रतिशत और 21 प्रतिशत था) देश में भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत कुल अपराधों का 62.4 प्रतिशत है। स्थानीय और विशेष कानूनों के अन्तर्गत तीन राज्यों महाराष्ट्र (5.8 प्रतिशत) गुजरात (17.2 प्रतिशत) और तमिलनाडु (57.9 प्रतिशत) में बाल अपराध लगभग 81.0 प्रतिशत है। भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत 1995 में 18, 793 बाल अपराधी थे। इन सभी न्यायालयों में भेजे गये मामलों में से लगभग 26.0 प्रतिशत को सलाह, चेतावनी के बाद इनके घरों को भेज दिया गया, 6.1 प्रतिशत को विशेष सुधार गृहों को भेज दिया गया 17.7 प्रतिशत को परिवीक्षा पर छोड़ा गया, 4.0 प्रतिशत को अर्थ दण्ड किया गया और 9.4 प्रतिषत को छोड़ दिया गया एवं लगभग 36.8 प्रतिशत मामले विचाराधीन पड़े रहे।

लक्षण– 1947 और 1985 के बीच बाल अपराध पर किये गये अनेक अध्ययनों में कुछ एक डाक्ट्रेट डिग्री (Ph.D) के लिए किये गये थे। प्रकाशित शोध प्रबन्धों में रतनशा (1947), आर0के0 सिंध (1948), रूसी सेंठ (1960), बी0 के0 भट्टाचार्य (1962), ए0डी0 अतर (1964), सुशील चन्द्रा (1967),एस0सी0 वर्मा (1969) और हरजीत संधू (1977) तथा तीन अध्ययन भारत सरकार (1952, 1954, 1970) द्वारा किये गये अधिक महत्वपूर्ण माने जाते है।

इन अध्ययनों तथा राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो 1994 द्वारा एकत्रित आंकड़ो के आधार पर भारत में बाल अपराध की निम्नलिखित लक्षण/ विशेषताएं दी जा सकती है–

(1) लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में अपराध की दर कई गुना अधिक होती है, अर्थात लड़कियाँ लड़कों की अपेक्षा कम अपराध करती है। बाल अपराध में 1987 तक लड़कियों की भागीदारी का प्रतिशत लगभग 6.0 प्रतिशत से 7.0 प्रतिशत था। 1988 में बालक की परिभाषा में परिवर्तन के कारण यह प्रतिशत बढ़कर 13.4 प्रतिशत हो गया, जिसमें 16 से 18 वर्ष की आयु के बीच की लड़कियाँ ही बालक समझी गई। यदि हम पहले के वर्षो के आंकड़ो को देखे और नवीन परिभाषा के आधार पर प्रतिशत निकाले तो यह 13.1 प्रतिशत आता है जो कि 1988 की 13.4 प्रतिशत की तुलना में समान ही है। अतः वर्तमान (1955) के आंकड़े प्रत्येक लड़की पर लड़को का समग्र पकड़े जाने का अनुपातः 1:5 दर्शाता है। 1955 में भारतीय दण्ड संहिता और स्थानीय तथा विशेष कानूनों के अन्तर्गत पकड़े गये (कुल 18,793) बालकों में से 22.6 प्रतिशत लड़कियाँ थी।

(2) बाल अपराध की दर प्रारम्भिक किशोरावस्था में अर्थात 12–16 वर्ष की अवस्था में अधिक होती है। 1988 में बालक की नवीन परिभाषा के पश्चात् यदि हम 1991 से 1995 में मध्य

पांच वर्षो की औसत आयु का आंकलन करे तो देखेगे कि दो–तिहाई (65.7 प्रतिशत) बाल अपराधी 12–16 वर्ष के आयु समूह में आते है। पहले देखा गया है कि बड़ी संख्या में बाल अपराधी– 1978–1987 के मध्य 71 प्रतिशत थी जो कि 18–21 आयु समूह के थे। 15 प्रतिशत 16–18 वर्ष के समूह के 9.0 प्रतिशत सुधार 2–16 वर्ष के आयु समूह के 5.0 प्रतिशत 7–12 वर्ष आयु समूह के थे। 1995 में 18.0 प्रतिशत बाल अपराधी 7–12 वर्ष आयु समूह के थे और 18.1 प्रतिशत 16–18 वर्ष आयु समूह के थे 12–16 वर्ष आयु समूह के बालकों की भागीदारी 1978–87 में 10 प्रतिशत से बढ़कर 1995 में 63.9 प्रतिशत हो गई क्योंकि 1988 से 18–21 वर्ष आयु समूह 'बालक' की परिभाषा से पूर्णरूपेण बाहर हो गया है।

(3) बाल अपराध ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में अधिक घटित होते है। देहली, मुम्बई, पुणे, अहमदाबाद, हैदराबार और बंगलौर जैसे महानगर छोटे नगरों और कस्बों की अपेक्षा अधिक बाल अपराधियों को जन्म देते है। यदि हम भारत में 23 महानगरों को ले 1995 में भारतीय दण्ड संहिता और स्थानीय कानूनों के तहत किये गये 1, 731 बाल अपराधों में से लगभग तीन चौथाई (78.3 प्रतिशत) सात महानगरों में किये गये (मुम्बईः 19.6 प्रतिशत, अहमदाबादः 10.7 प्रतिशत, देहली 20.2 प्रतिशत पुणेः 7.7 प्रतिशत बंग्लौर : 10.6 प्रतिशत, सूरतः 4.1 प्रतिशत और हैदराबाद : 3.4 प्रतिशत)।

(4) माता–पिता व संरक्षकों के साथ रहने वाले बच्चे बाल अपराधों में अधिक लिप्त पाये जाते है। पकड़े जाने के समय (18,793) तीन चौथाई से कुछ कम बाल अपराधी (70.5 प्रतिशत) अपने माता–पिता के साथ रहते पाये गये, लगभग पांचवा हिस्सा (21.1 प्रतिशत) अपने संरक्षकों के साथ और लगभग दसवां हिस्सा (8.4 प्रतिशत) बेघर पाये गये। इससे बाल अपराध में पारिवारिक वातावरण की भूमिका का पता चलता है।

(5) कम शिक्षा बाल अपराध का प्रमुख लक्षण है। 1995 में कुल (18,793) बाल अपराधियों में से एक तिहाई (34.9 प्रतिशत) बालक अनपढ़ थे, आधे से कम (41.3 प्रतिशत) प्राइमरी पास थे, पांचवा हिस्सा (19.4 प्रतिशत) मिडिल या सैकेण्डरी स्तर तक शिक्षित थे और बहुत कम संख्या में 4.4 प्रतिशत) हाईस्कूल या इससे ऊपर स्तर तक शिक्षित थे । इस प्रकार अधिकतर बाल अपराधी कम शिक्षित वा निरक्षर परिवारों से होते है।

(6) निम्न आर्थिक पृष्ठभूमि भारत में बाल अपराध का एक और महत्वपूर्ण कारण है पांच में से 4 से अधिक अपराधी वे है जिनके परिवार की मासिक आय एक हजार रूपये से कम है। 1995 के आंकड़ो के अनुसार 18,793 बाल अपराधियों में से 52.9 प्रतिशत 500 रूपये प्रतिमाह से कम अतिनिर्धन वर्ग आमदनी वाले घरों से थे। 29.2 प्रतिशत 501 से 1000 रूपये प्रतिमाह निर्धन वर्ग आमदनी वाले घरों से थे। 11.4 प्रतिशत 1001 रूपये से 2000 रूपये प्रतिमाह आमदनी वाले निम्न निर्धन वर्ग के घरों से थे। 4.1 प्रतिशत 2000 से 3000 रूपये प्रतिमाह आमदनी वाले मध्यम वर्ग घरों से थे और 2.4 प्रतिशत 3000 प्रतिमाह आमदनी वाले उच्च मध्यम वर्ग घरों से थे। हमारे देश में बाल अपराध तथा इससे सम्बन्धित सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर किये गये लगभग सभी अध्ययन दर्शाते है कि जो लोग समाज के निम्नवत स्तर से सम्बन्धित है उनसे बाल अपराध की दर सर्वाधिक पाई गई है। इस तथ्य के सत्य होने की सीमा विविध दशाओं में भिन्न होती है लेकिन लगभग सभी अध्ययनों (रतनशा, हंसा, सेठ, सुशील चन्द्र और एस0सी0

वर्मा) में एक सामान्य बिन्दु पाया गया है कि सामाजिक आर्थिक स्तर का प्रभाव तब अधिक दिखाई देते है जब हम बाल अपराध के निर्णय प्रक्रिया को गहराई से देखते है।

सन्दर्भ ग्रन्थों की सूची–

1. राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (क्राइम इन इण्डिया) दिल्ली, वर्ष–1995 पृ0–192
2. राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (क्राइम इन इण्डिया) दिल्ली, वर्ष–1995 पृ0–216
3. विवेचनात्मक अपराधशास्त्र, डा0 राम आहूजा एवं मुकेश आहूजा, रावत पब्लिकेशन जयपुर एवं नई दिल्ली , वर्ष– 2006, पृ0–119–122